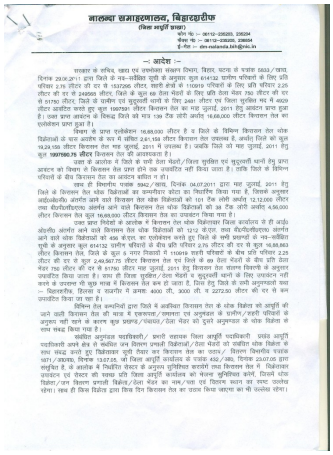

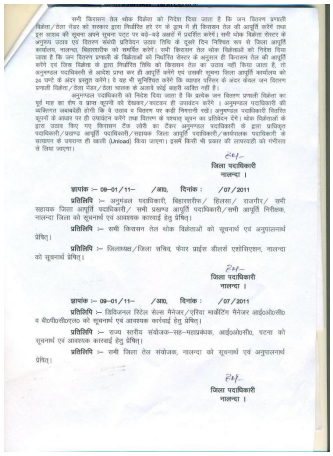

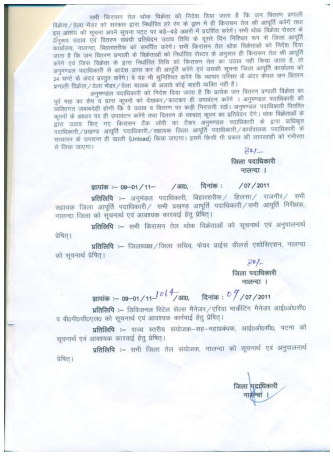

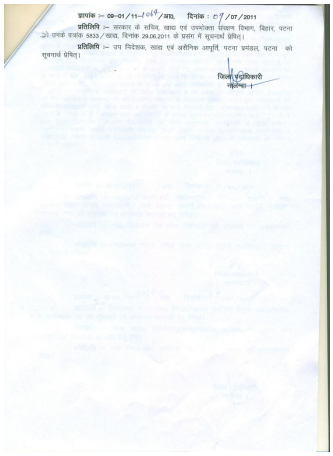

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला आपूर्ति शाखा)
फोन नं0 :– 06112–235203, 235204
फैक्स नं0 :– 06112–235205, 236854
ई–मेल :– dm-nalanda.bih@nic.in

–: आदेश :–

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5833/खाद्य, दिनांक 29.06.2011 द्वारा जिले के नव–सर्वेक्षित सूची के अनुसार कुल 614132 ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति परिवार 2.75 लीटर की दर से 1537295 लीटर, शहरी क्षेत्रों के 110919 परिवारों के लिए प्रति परिवार 2.25 लीटर की दर से 249568 लीटर, जिले के कुल 69 ठेला भेंडरों के लिए प्रति ठेला भेंडर 750 लीटर की दर से 51750 लीटर, जिले के ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों के लिए 2481 लीटर एवं जिला सुरक्षित मद में 4929 लीटर आवंटित करते हुए कुल 1997591 लीटर किरासन तेल का माह जुलाई, 2011 हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन के विरूद्ध जिले को मात्र 139 टैंक लोरी अर्थात् 16,68,000 लीटर किरासन तेल का एलोकेशन प्राप्त हुआ है।

विभाग से प्राप्त एलोकेशन 16,68,000 लीटर है व जिले के विभिन्न किरासन तेल थोक विक्रेताओं के पास अवशेष के रूप में संचित 2,61,158 लीटर किरासन तेल उपलब्ध है, अर्थात् जिले को कुल 19,29,158 लीटर किरासन तेल माह जुलाई, 2011 में उपलब्ध है। जबकि जिले को माह जुलाई, 2011 हेतु कुल **1997590.75 लीटर** किरासन तेल की आवश्यकता है।

उक्त के आलोक में जिले के सभी ठेला भेंडरों/जिला सुरक्षित एवं सुदूरवर्त्ती थानों हेमु प्राप्त आवंटन को विभाग से किरासन तेल प्राप्त होने तक उपावंटित नहीं किया जाता है। ताकि जिले के विभिन्न परिवारों के बीच किरासन तेल का आवंटन बाधित न हो।

साथ ही विभागीय पत्रांक 5942/खाद्य, दिनांक 04.07.2011 द्वारा माह जुलाई, 2011 हेतु जिले के किरासन तेल थोक विक्रेताओं का कम्पनीवार कोटा का निधार्रिण किया गया है, जिसके अनुसार आई0ओ0सी0 अंतर्गत आने वाले किरासन तेल थोक विक्रेताओं को 101 टैंक लोरी अर्थात् 12,12,000 लीटर तथा बी0पी0सी0एल0 अंतर्गत आने वाले किरासन तेल थोक विक्रेताओं को 38 टैंक लोरी अर्थात् 4,56,000 लीटर किरासन तेल कुल 16,68,000 लीटर किरासन तेल का उपावंटन किया गया है।

उक्त प्राप्त निदेशों के आलोक में किरासन तेल थोक विक्रेतावार जिला कार्यालय से ही आई0 ओ0सी0 अंतर्गत आने वाले किरासन तेल थोक विक्रेताओं को 1212 के.एल. तथा बी0पी0सी0एल0 अंतर्गत आने वाले थोक विक्रेताओं को 456 के.एल. का एलोकेशन करते हुए जिले के सभी प्रखण्डों के नव–सर्वेक्षित सूची के अनुसार कुल 614132 ग्रामीण परिवारों के बीच प्रति परिवार 2.75 लीटर की दर से कुल 16,88,863 लीटर किरासन तेल, जिले के कुल 5 नगर निकायों में 110919 शहरी परिवारों के बीच प्रति परिवार 2.25 लीटर की दर से कुल 2,49,567.75 लीटर किरासन तेल एवं जिले के 69 ठेला भेंडरों के बीच प्रति ठेला भेंडर 750 लीटर की दर से 51750 लीटर माह जुलाई, 2011 हेतु किरासन तेल संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है। साथ ही जिला सुरक्षित/ठेला भेंडरों व सुदूरवर्त्ती थानों के लिए उपावंटन नहीं करने के उपरान्त भी कुछ मात्रा में किरासन तेल कम हो जाता है, जिस हेतु जिले के सभी अनुमण्डलों यथा :– बिहारशरीफ, हिलसा व राजगीर में क्रमशः 4000 ली., 3000 ली. व 2272.50 लीटर की दर से कम उपावंटित किया जा रहा है।

विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा जिले में अवस्थित किरासन तेल के थोक विक्रेता को आपूर्ति की जाने वाली किरासन तेल की मात्रा में एकरूपता/समानता एवं अनुमंडल के ग्रामीण/शहरी परिवारों के अनुरूप नहीं रहने के कारण कुछ प्रखण्ड/पंचायत/ठेला भेंडर को दुसरे अनुमण्डल के थोक विक्रेता के साथ संबद्ध किया गया है।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं/ठेला भेंडरों को संबंधित थोक विक्रेता के साथ संबद्ध करते हुए विक्रेतावार सूची तैयार कर किरासन तेल का उठाव/ वितरण विभागीय पत्रांक 1871/आ0वा0, दिनांक 13.07.05, जो जिला आपूर्ति कार्यालय के पत्रांक 432/आ0, दिनांक 23.07.05 द्वारा संसूचित है, के आलोक में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सुनिश्चित करायेंगें तथा किरासन तेल में विक्रेतावार उपावंटन एवं रोस्टर की स्वच्छ प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें, जिसमें थोक विक्रेता/जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर का नाम/पता एवं वितरण स्थान का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। साथ ही किस विक्रेता द्वारा किस दिन किरासन तेल का उठाव किया जाएगा का भी उल्लेख रहेगा।

सभी किरासन तेल थोक विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर को सरकार द्वारा निर्धारित हरे रंग के ड्राम में ही किरासन तेल की आपूर्ति करेंगें तथा इस आशय की सूचना अपने सूचना पट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करेगें। सभी थोक विक्रेता रोस्टर के अनुरूप उठाव एवं वितरण संबंधी प्रतिवेदन उठाव तिथि के दूसरे दिन निश्चित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ को समर्पित करेगें। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे एवं जिस विक्रेता के द्वारा निर्धारित तिथि को किरासन तेल का उठाव नहीं किया जाता है, तो अनुमण्डल पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर ही आपूर्ति करेंगे एवं उसकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को 24 घण्टे के अंदर प्रस्तुत करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि व्यापार परिसर के अंदर केवल जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर/ठेला चालक के अलावे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है।

अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पूर्व माह का शेष व प्राप्त कूपनों को देखकर/काटकर ही उपावंटन करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि वे उठाव व वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। अनुमण्डल पदाधिकारी वितरित कूपनों के आधार पर ही उपावंटन करेंगे तथा वितरण के पश्चात् कूपन का प्रतिवेदन देंगे। थोक विक्रेताओं के द्वारा उठाव किए गए किरासन टैंक लोरी का टैंकर अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही खाली (Unload) किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

ज्ञापांक :– 09–01/11– /आ0, दिनांक : /07/2011

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/ हिलसा/ राजगीर/ सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– जिलाध्यक्ष/जिला सचिव, फेयर प्राईस डीलर्स एशोसिएशन, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित्।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

ज्ञापांक :– 09–01/11– /आ0, दिनांक : /07/2011

प्रतिलिपि :– डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर आई0ओ0सी0 व बी0पी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– राज्य स्तरीय संयोजक–सह–महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– सभी जिला तेल संयोजक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित्।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

सभी किरासन तेल थोक विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर को सरकार द्वारा निर्धारित हरे रंग के ड्राम में ही किरासन तेल की आपूर्ति करेंगें तथा इस आशय की सूचना अपने सूचना पट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करेगें। सभी थोक विक्रेता रोस्टर के अनुरूप उठाव एवं वितरण संबंधी प्रतिवेदन उठाव तिथि के दूसरे दिन निश्चित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ को समर्पित करेगें। सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को निदेश दिया जाता है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे एवं जिस विक्रेता के द्वारा निर्धारित तिथि को किरासन तेल का उठाव नहीं किया जाता है, तो अनुमण्डल पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर ही आपूर्ति करेंगे एवं उसकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को 24 घण्टे के अंदर प्रस्तुत करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि व्यापार परिसर के अंदर केवल जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर/ठेला चालक के अलावे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है।

अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता का पूर्व माह का शेष व प्राप्त कूपनों को देखकर/काटकर ही उपावंटन करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी कि वे उठाव व वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। अनुमण्डल पदाधिकारी वितरित कूपनों के आधार पर ही उपावंटन करेंगे तथा वितरण के पश्चात् कूपन का प्रतिवेदन देंगे। थोक विक्रेताओं के द्वारा उठाव किए गए किरासन टैंक लोरी का टैंकर अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ही खाली (Unload) किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

ज्ञापांक :– 09–01/11– /आ0, दिनांक : /07/2011

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/ हिलसा/ राजगीर/ सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक, नालन्दा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– जिलाध्यक्ष/जिला सचिव, फेयर प्राईस डीलर्स एशोसिएशन, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित्।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

ज्ञापांक :– 09–01/11–1064/आ0, दिनांक : 09/07/2011

प्रतिलिपि :– डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर आई0ओ0सी0 व बी0पी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– राज्य स्तरीय संयोजक–सह–महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– सभी जिला तेल संयोजक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित्।

जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।

ज्ञापांक :– 09–01/11–1064/आ0, दिनांक : 09/07/2011

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 5833/खाद्य, दिनांक 29.06.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित्।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित्।

जिला पदाधिकारी
नालन्दा ।